न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 23 / 2017

1 बनवारी पुत्र मोहन जाति बलाई निवासी पुरोहितजी की ढाणी वार्ड नम्बर 37 सीकर तहसील व जिला सीकर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलांट

बनाम

1 भींवाराम पुत्र कालूराम।
2 छोटूराम पुत्र कालूराम समस्त जाति बलाई निवासी वार्ड नम्बर 37 पुरोहितजी की ढ़ाणी सीकर तहसील व जिला सीकर।
3 मुकेश कुमार पुत्र बिड़दीचन्द जाति जाट निवासी ग्राम तपीपल्लया तहसील खण्डेला जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

आवेदन पत्र बाबत कन्टेम्पट ऑफ कोर्ट

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुरजभान सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय सीकर

–निर्णय–

दिनांकः–22-1-19

यह कन्टेपट इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 16/2015 में पारित निर्णय दिनांक 23.07.2015 की अवमानना के विरूद्व प्रस्तुत हुआ है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 16/2015 बउनवानी बनवारी बनाम भींवा में निर्णय दिनांक 23.07.2015 द्वारा विवादित भूमि खसरा नम्बर 852/1111, 853 एवं 905/1110 वाके ग्राम राधाकिशनपुरा पर कच्चा पक्का निर्माण नही करने एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया था। इस स्थगन के उपरान्त दिनांक 10.07.2017 को अप्राथीगण अपने साथ भूमाफिया गिरोह के व्यक्तियों को शामिल करके उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमियों पर निर्माण सामग्री डालकर रातों रात निर्माण कार्य चालू करने लगे। इस पर प्रार्थी द्वारा माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय सीकर के समक्ष स्टे आदेश की पालना बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय सीकर द्वारा तहसीलदार महोदय को आदेशित किया गया। तहसीलदार महोदय सीकर द्वारा दिनांक 28.07.2017 को स्टेय आदेश की पालना में कार्यवाही की गई। तहसीलदार महोदय द्वारा की गई कार्यवाही से अपने पत्र कमांक भू.अ. 17/2040 दिनांक 28.07.2017 से माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर को अवगत करवाया गया। तहसीलदार महोदय सीकर द्वारा की गई कार्यवाही बाबत फर्द रिपोर्ट तैयार की गई। जिसके अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07. 2015 की खुलमखुला अवहेलना की गई है। इससे व्यथित होकर यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 16/2015 बउनवानी बनवारी बनाम भींवा में निर्णय दिनांक 23.07.2015 द्वारा विवादित भूमि खसरा नम्बर 852/1111, 853

भू प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

एवं 905/1110 वाके ग्राम राधाकिशनपुरा पर कच्चा पक्का निर्माण नही करने एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया था। इस स्थगन के उपरान्त दिनांक 10.07.2017 को अप्राथीगण अपने साथ भूमाफिया गिरोह के व्यक्तियों को शामिल करके उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमियों पर निर्माण सामग्री डालकर रातों रात निर्माण कार्य चालू करने लगे। इस पर प्रार्थी द्वारा माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय सीकर के समक्ष स्टे आदेश की पालना बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय सीकर द्वारा तहसीलदार महोदय को आदेशित किया गया। तहसीलदार महोदय सीकर द्वारा दिनांक 28.07.2017 को स्टेय आदेश की पालना में कार्यवाही की गई। तहसीलदार महोदय द्वारा की गई कार्यवाही से अपने पत्र क्रमांक भू.अ. 17/2040 दिनांक 28.07.2017 से माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर को अवगत करवाया गया। तहसीलदार महोदय सीकर द्वारा की गई कार्यवाही बाबत फर्द रिपोर्ट तैयार की गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर.एल.डब्ल्यु 2006 (2) आर.जे. पेज 949 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही कर दो माह का सिविल कारावास से दण्डित करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि जवाबदाता ने स्टे के दौरान कोई निर्माण नही किया गया है बल्कि दावा दायरी से पूर्व ही जवाबदातागण के मकान बने हुए थे जिनमें विधुत सम्बंध भी ले रखे है। जवाबदाता ने स्थगन आदेश की अवहेलना नही की है इसलिए अवमानना का आवेदन कतई चलने योग्य नही है। उनवानी प्रकरण में अप्रार्थी न तो वाद में पक्षकार है तथा न ही स्थगन प्रार्थना पत्र में पक्षकार है तथा न ही उक्त प्रकरण की अप्रार्थी को जानकारी है तथा अप्रार्थी ने अर्सा करीब 10 वर्ष पूर्व ही मकानात बना रखे है व विधुत सम्बंध प्राप्त कर रखे है इसलिए उक्त आवेदन अप्रार्थी संख्या 3 के पोषणीय नही है। इसलिए उक्त आवेदन की कार्यवाही ड्रोप किया जाना आवश्यक है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 16/2015 बउनवानी बनवारी बनाम भींवा में निर्णय दिनांक 23.07.2015 द्वारा विवादित भूमि खसरा नम्बर 852/1111, 853 एवं 905/1110 वाके ग्राम राधाकिशनपुरा पर कच्चा पक्का निर्माण नही करने एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया था।

तहसीलदार सीकर द्वारा जारी पत्र कमांक राजस्व/2017/715 दिनांक 20.09.2017 में अंकित है कि जांच भू–अभिलेख निरीक्षक, कुड़ली व पटवारी हल्का राधाकिशनपुरा से करवायी गयी जिसने अवगत करवाया कि ग्राम राधाकिशनपुरा के खसरा नम्बर 852/1111,853,905/1110 में निर्माण कार्य बाबत मौका जांच में खसरा नम्बर 853 में मुकेश कुमार पुत्र बिड़दीचन्द द्वारा निर्माण कार्य करवाया जा रहा था जो पटवारी हल्का राधाकिशनपुरा द्वारा उक्त निर्माण कार्य को 26.07.2017 को रूकवाया गया था। अब मौके पर उक्त निर्माण कार्य बन्द मिला। मौके पर उपरोक्त भूमियों में कोई निर्माण कार्य नही हो रहा है।

उपरोक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि पटवारी द्वारा पाबन्द किये जाने के उपरान्त कोई निर्माण कार्य नही किया गया है। ऐसी स्थिति में अवमानना होना प्रकट नही होता है। फलस्वरूप अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22-11-19 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर